न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

पी0ए0 अपील वाद सं0–02/2022–23

मो0 सबीरूद्दीन अंसारी
बनाम
मो0 रिजवान अंसारी

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
04.03.2023	**आदेश** यह अपीलवाद, अपीलकर्त्ता मो0 सबीरूद्दीन अंसारी, पिता–स्व0 अब्दुल अजीज, सा0–मंझलाडीह, थाना–हिरणपुर, जिला–पाकुड़ के द्वारा विद्व अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–57/2020–21 में दिनांक–02.04.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) झारखण्ड सरकार एवं (2) मो0 रिजवान अंसारी, पिता–रहमतुल्ला अंसारी, सा0–मंझलाडीह, थाना–हिरणपुर, जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि प्रश्नगत मौजा मंझलाडीह के ग्राम प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी सं0–02 के अतिरिक्त अन्य छः आवेदकों द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पी0ए0 वाद सं0–69/2002–03, 54/2006–07, 50/2020–21, 53/2020–21, 51/2020–21, 58/2020–21, 57/2020–21 एवं 41/2020–21 संस्थित किया गया। सभी पी0ए0 वादों को पी0ए0 वाद सं0–69/2002–03 के साथ संलग्न कर सुनवाई की गई एवं दिनांक–02.04.2022 को पारित आदेश द्वारा इस वाद के उत्तरवादी सं0–02 को SPT Act 1949 की धारा 5 के तहत मौजा मंझलाडीह का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। यह अपीलवाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष के विद्व अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। अपीलकर्त्ता के विद्व अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत मौजा मंझलाडीह एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के खतियानी प्रधान तकी मोहम्मद मोमीन थे। तकी मोहम्मद मोमीन के पुत्र अब्दुल अजीज हुए एवं अब्दुल अजीज के पुत्र अपीलकर्त्ता है। ग्राम प्रधान की नियुक्ति में सर्वप्रथम वंशानुगत आधार पर धारा 6 के तहत दाखिल आवेदन का निष्पादन किया जाना चाहिए। वंशानुगत दावे के अस्वीकृत होने की स्थिति में धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जानी चाहिए। उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा उनके वंशानुगत दावे को नजर	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

अंदाज किया गया एवं उनके दावे को अस्वीकृत किए बिना धारा 5 के तहत नियुक्ति में भी प्रक्रिया का पालन नही किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से गुप्त मतदान कराया गया एवं अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रधान की बहाली कर दी गई। धारा 5 के तहत 2/3 जमाबंदी रैयतों की सहमति आवश्यक है। 2/3 जमाबंदी रैयतों की सहमति अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष व्यक्त किया जाना है न कि राजस्व उपनिरीक्षक के समक्ष। निम्न न्यायालय द्वारा नियमों/प्रावधानों का खुला उल्लंधन किया गया। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी स0–02 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत मौजा के खतियानी प्रधान तकी मोहम्मद की मृत्यु वर्षो पूर्व हो चुकी है तथा उक्त मौजा खास हो गया है। खास मौजा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति SPT Act 1949 की धारा 5 के तहत किया जाता है। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड के आदेश पर अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से गुप्त मतदान कराया गया, जिसमें सर्वाधिक मत रिजवान अंसारी (उत्तरवादी स0–02) को प्राप्त हुआ। इस आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा ग्राम प्रधान की बहाली की गई। निम्न न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नही है। उनके द्वारा अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभय पक्ष्ज्ञ की दलीलों एवं उपलब्ध कागजात/प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत मौजा मंझालीडीह एक प्रधानी मौजा है, जिसके खतियानी प्रधान तकी मोहम्मद मोमीन थे। अपीलकर्त्ता खतियानी प्रधान के पौत्र है। अपीलकर्त्ता द्वारा SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत प्रधान की नियुक्ति हेतु अपना आवेदन निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा Thakur Hembrom Vrs State of Bihar & others (1980 BLJR 448 : 1980 BLJ 212 DB) में पारित न्याय निर्णय के अनुसार ग्राम प्रधान की नियुक्ति में सर्वप्रथम धारा 6 के तहत दाखिल आवेदन का निष्पादन किया जाना है। धारा 6 के तहत दाखिल आवेदन के अस्वीकृत होने की स्थिति में धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपना कर ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जानी है। निम्न न्यायालय द्वारा उक्त न्याय निर्णय की अवहेलना करते हुए स्वयं की बनाई गई प्रक्रिया के तहत ग्राम प्रधान की बहाली कर दी गई। धारा 5 के तहत भी की गई नियुक्ति में निर्धारित

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	प्रावधानों/नियमों की घोर अवहेलना की गई एवं 2/3 जमाबंदी रैयतो का मत स्वयं के समक्ष न लेकर राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा गुप्त मतदान कराया गया। निम्न न्यायालय के आदेश से प्रतीत होता है कि उन्हें SPT Act 1949 की धारा 5 एवं 6 तथा SPT Rule 1950 के नियम 3 एवं सेडयूल V की कोई जानकारी नहीं है। निम्न न्यायालय का आदेश SPT Act 1949 के संदर्भित प्रावधानों के बिल्कुल प्रतिकुल एवं त्रुटिपूर्ण है। उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त (Set-aside) किया जाता है। यह वाद इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार, पटना द्वारा Thakur Hembrom Vrs State of Bihar & others में पारित न्याय निर्णय का अक्षरशः अनुपालन करते हुए तीस दिनों के अन्दर प्रश्नगत मौजा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित। 4/3/23 उ पा यु वि, पाकुड़। 4/3/23 उ पा यु वि, पाकुड़।	

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.04.27 15:17:19 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:34cb:8006:3557:abab

Scanned with CamScanner